



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेय कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

कमांक 579 तक/प्रनिबो/2022


भोपाल, दिनांक 18 FEB 2022

-: कार्यालय आदेश :-

पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर लगाई जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती की गणना उपरान्त संस्थान को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जारी किये जाने वाले नोटिस एवं क्षतिपूर्ती राशि जमा करने संबंधी प्रेषित किये जाने वाले पत्र एवं प्रक्रिया में एकरूपता एवं पादर्शिता रखने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती के आकलन हेतु अपराध प्रारम्भ करने के दिनांक से अंतिम दिवस तक की अवधि के प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मुख्यालय के संबंधित यूनिट हेड द्वारा बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदनप्राप्त किया जायेगा ।
3. बोर्ड द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित यूनिट हेड द्वारा संलग्न प्रारूप में उद्योग को नोटिस जारी कर 15 दिवस का समय सुनवाई हेतु दिया जायेगा ।
4. उद्योग द्वारा बोर्ड के नोटिस पर प्रस्तुत उत्तर पर संबंधित यूनिट हेड द्वारा आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय अधिकारी से सत्यापन कराकर प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा, यदि उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती बसूली जाने का निर्णय लिया जाता है तो संलग्न प्रारूप में क्षतिपूर्ती राशि जमा कराने हेतु उद्योग को सूचित किया जायेगा ।

संलग्न:- प्रारूप I & II


(ए० पी० मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ०क० 586
प्रतिलिपि :-

तक/प्रनिबो/2022

भोपाल, दिनांक

18 FEB 2022

1. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ ।
2. सनस्त यूनिट हेड/ क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ ।

IT शाखा